

संपर्क करें :

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल

विन्ध्याचल भवन,

भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत


पिन - 462003

टूरभाष : +91-755-2677988

फेक्स : +91-755&2677943

E-mail: ic-mp@nic.in

म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016



म. प्र. शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विवरण तालिका

I.	परिचय	02
II.	विजन, मिशन और उद्देश्य	02
III.	नीति अंतर्गत केन्द्रित क्षेत्र	03
अ.	अभिनव इंक्यूबेशन नेटवर्क.....	04
ब.	एंजल निवेशक/पूँजीवादी व्यापार नेटवर्क	05
IV.	प्रोत्साहन	05
अ.	इंक्यूबेटरों को प्रोत्साहन	05
i.	पूँजी अनुदान	06
ii.	संचालन सहायता	06
iii.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन	06
iv.	सलाह हेतु सहायता	07
v.	स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता	07
ब.	स्टार्टअप /उद्यमियों को प्रोत्साहन	07
i.	ब्याज अनुदान	07
ii.	लीज किराया अनुदान	07
iii.	पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान	08
iv.	स्टार्टअप विपणन सहायता	08
v.	क्रेडेंशियल विकास सहायता	08
V.	नीति की उपयुक्तता	08
VI.	नीति का क्रियान्वयन	09
अ.	स्टार्टअप -इंक्यूबेटर (एसआई) सेल	09
ब.	राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति	09
स.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति	10
VII.	शब्दावली	11

I. परिचय

मध्य प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो वर्ष 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत के साथ सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से है। राज्य में हाल के वर्षों में निवेश और आर्थिक विकास में काफी इजाफा हुआ है। राज्य में एक मजबूत बुनियादी ढांचा, अनुकूल नीतिगत माहौल और औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित हुए हैं, जिससे औद्योगीकरण के विकास में तेजी लाई गई है।

विनिर्माण उद्योग के लिए उच्च संभावनाओं के विष्टिगत, मध्य प्रदेश ने उच्च तकनीक उद्योगों यथा हैवी इंजीनियरिंग, आईटी, ईएसडीएम, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल के साथ साथ मौजूदा कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के लिए पूरे राज्य में समर्पित औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना कर स्वयं को एक अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। इस औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप राज्य में युवा उद्यमियों के लिए इंक्यूबेशन, प्लग और प्ले सुविधाओं की मांग उत्पन्न हुई है।

इसके अलावा, कई प्रमुख तकनीकी, प्रबंधन और अन्य व्यवसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी इंदौर, आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईआईएम इंदौर, मैनिट भोपाल, IIITDM जबलपुर, आईआईएसईआर भोपाल, निफ्ट भोपाल, 224 इंजिनीयरिंग कॉलेज, 114 पॉलीटेक्नीक, 415 आईटीई 135 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र(SDC) एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की उपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश स्टार्टअप केन्द्रों के लिए एक आदर्श स्थल है। राज्य सरकार ने इन स्टार्टअप हेतु पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापार पूँजी निधि निर्मित की है।

इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की 'स्टार्टअप इण्डिया' विजन के साथ तालमेल रखते हुए एक अनुकूल, अभिनव और तकनीकी उद्यमी परिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना 'म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' की रचना के माध्यम से राज्य के भीतर स्टार्टअप संस्कृति को पोषित एवं बढ़ावा देने हेतु की है।

II. विजन, मिशन और उद्देश्य

विजन

स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन केन्द्रों हेतु मध्यप्रदेश को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराना।

मिशन

- 'स्टार्टअप इण्डिया' अंतर्गत भारत सरकार के प्रमुख पहल के साथ मध्य प्रदेश का तालमेल बनाने के लिए।
- राज्य में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण के एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए।

लक्ष्य

- उद्यमिता कौशल के पोषण द्वारा राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करना
- राज्य में मौजूदा इन्क्यूबेशन केन्द्रों को मजबूत बनाने के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
- मध्य प्रदेश में नवीन विचारों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना
- मध्यप्रदेश के राज्य भर में टिकाऊ और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए मध्यप्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देना
- मध्य प्रदेश राज्य के भीतर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विकसित करना

III. नीति अंतर्गत केन्द्रित क्षेत्र

एक स्टार्टअप को उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक 3 कोर नीति केन्द्रित क्षेत्रों के वृष्टिगत 'म. प्र. इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' तैयार की गई है। ये नीति केन्द्रित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

- i. 'प्लग और प्ले' इन्क्यूबेशन सुविधा की उपलब्धता
- ii. पूँजी सहायता और अनुदान
- iii. स्टार्टअप हेन्डहोल्डिंग

प्लग और प्ले
इन्क्यूबेशन सुविधा की
उपलब्धता



पंजी सहायता और
अद्वादात



स्टार्टअप/उद्यमशीलता की संस्कृति को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में उपरोक्त नीति अंतर्गत केन्द्रित क्षेत्रों के आधार पर, निम्नानुसार राज्यव्यापी नेटवर्क की परिकल्पना की गई है :-

अ. अभिनव इंक्यूबेशन नेटवर्क

- राज्य सरकार युवा उद्यमिओं/छात्रों को 'प्लग एण्ड प्ले' सुविधा उपलब्ध करने के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों और व्यावसायिक कॉलेजों के भीतर इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करेगी।
- ये इंक्यूबेशन केन्द्र एक अभिनव इंक्यूबेशन नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे, जो होस्ट संस्थानों/इंक्यूबेटरों के मध्य एक सहयोगात्मक मंच का निर्माण करेंगा, जिसे स्टार्टअप/उद्यमिओं की जरूरतों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- चुने हुए संस्थानों को उनके विषयों या विशेषज्ञता के क्षेत्र में इंक्यूबेटरों की मेजबानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक ऑनलाइन पोर्टल सभी राज्य आधारित इंक्यूबेटरों को एक नेटवर्क मंच पर लाने के लिए विकसित किया जाएगा।

- यह नेटवर्क शिक्षा या उद्योग ऐच के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों की पहचान कर उन्हें एक मंच भी प्रदान करेगा।
- यह इंक्यूबेशन नेटवर्क पूँजी सहायता, सरकार से कानूनी अनुपालन और नियामक समर्थन हेतु सहायता की पहचान करने में स्टार्टअप को हेणडहोल्डिंग उपलब्ध कराने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ब. एंजल निवेशक/पूँजीवादी व्यापार नेटवर्क

- एक एंजल निवेशक/पूँजीवादी व्यापार की पहचान और चयन किसी स्टार्टअप की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राज्य सरकार राज्यव्यापी एंजल निवेशक/पूँजीवादी व्यापार को एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे वह स्टार्टअप और उनके प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक धन की सहायता के बीच के अंतर को समाप्त कर सके।
- यह राज्य के भीतर अनुकूल और टिकाऊ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करेगा।
- यह नेटवर्क राज्य में स्टार्टअप के लिए एक 'त्वरक' की भूमिका भी निभाएगा।

IV. प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश के स्टार्टअप और इंक्यूबेटरों के लिए 'म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' अंतर्गत प्रोत्साहनों के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लागू होंगे।

मध्यप्रदेश सरकार और भारत सरकार की अन्य नीतिओं/योजनाओं के अन्य लागू प्रोत्साहन (यदि पात्र हो तो) के लिए भी स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर हकदार होंगे। यह ध्यान दिया जाय कि नीचे उल्लेखित प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त होंगे। हालांकि समान प्रकृति के प्रोत्साहन मध्यप्रदेश सरकार की किसी अन्य नीतिओं/योजनाओं अंतर्गत दावा नहीं किए जाएंगे।

म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), विभाग इंक्यूबेटरों, स्टार्टअप, संवेगों को बढ़ावा देने के लिए और मेजबान संस्थाओं को राज्य के भीतर उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए 'उद्योग संचालनालय म.प्र.' को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित करेगा।

अ. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

सरकार, सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ पात्र निजी संस्थानों को, प्रमुख उद्योग संगठनों सहित इंक्यूबेटरों की स्थापना हेतु सुविधाएं देगी। मेजबान संस्थाओं को इंक्यूबेटरों की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति हेतु नोडल संस्था में पंजीकरण करेगी। इंक्यूबेटरों की स्थापना का आशय व्यक्त करने वाली मेजबान संस्थाओं के चयन का निर्णय राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

इन्क्यूबेटरों के रूप में चयनित मेजबान संस्था स्टार्टअप के लिए बुनियादी 'एलग एंड एप्ले' प्रदान सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी, जैसे

- कंप्यूटर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ कार्य स्थल
- सामान्य व्यापार, प्रशासनिक और इंक्यूबेशन सुविधाएं
- प्रशिक्षण और सलाह (तकनीकी, वित्तीय, विपणन और कानूनी) इत्यादि

इंक्यूबेटरों के लिए राज्य सहायता प्रारंभिक 3 सालों के लिए प्रदान की जाएगी, जो कि प्रदर्शन के आधार पर 2 साल और बढ़ाई जा सकेगी, जिसके अंत में इन्क्यूबेटर के आत्मनिर्भर होने की उम्मीद हो।

i. पूँजी अनुदान

- पात्र मेजबान संस्थाओं को इंक्यूबेटर की स्थापना हेतु किए गए स्थायी पूँजी निवेश (यंत्र, संयंत्र और उपकरणों में किया गया निवेश परंतु भूमि व भवन में किए गए निवेश को छोड़कर) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत का पूँजी अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख रुपए होगा।
- पूर्व स्थापित इंक्यूबेटरों को उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए भी उक्त सीमा तक अनुदान दिया जाएगा बशर्ते पूर्व स्थापित इंक्यूबेटरों द्वारा 2 वर्ष में क्षमता का उपयोग कर लिया जाय।

ii. संचालन सहायता

- पात्र इन्क्यूबेटरों को आवर्ती व्यय के लिए सहायता देने हेतु प्रति वर्ष वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सीमा तक संचालन सहायता के रूप प्राप्त होगा।

iii. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन

- पात्र इन्क्यूबेटरों को उनका संचालन आरंभ होने पर क्रय/भूमि की लीज/ कार्य स्थल/ आईटी भवन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

iv. सलाह हेतु सहायता

औद्योगिक मार्गदर्शकों (सीएक्सओ), प्रितष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों के प्रोफेसरों से इंक्यूबेटी स्टार्टअप को सलाह प्राप्त करने हेतु, पात्र इन्क्यूबेटरों को सलाह हेतु सहायता की प्रतिपूर्ति प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की सीमा तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

v. स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता

नवाचार को बढ़ावा देने और एक कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता में छात्रों को लामबंद करने के लिए, मेजबान संस्थाओं/इंक्यूबेटरों को वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में स्थापित पात्र राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, राज्य के विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्टार्टअप प्रतियोगिता समारोह आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार प्रति समारोह 1 लाख रुपए की सीमा तक सहायता प्रदान करेंगी।

ब. स्टार्टअप/उद्यमिओं को प्रोत्साहन

इंक्यूबेटरों में संचालित होने वाले उद्यमिओं/स्टार्टअप को प्रोत्साहनों का लाभ पाने के पूर्व कंपनी के रूप में या एमएसएमईडी एक्ट, भारत सरकार के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

i. ब्याज अनुदान

- पात्र स्टार्टअप को अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के भुगतान हेतु ब्याज दर पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष हेतु 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- ii. लीज़ किराया अनुदान
 - इंक्यूबेटरों में संचालित राज्य की स्टार्टअप इकाइयाँ लीज किराए के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए, 3 साल की अवधि हेतु अधिकतम 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की सीमा के अधीन इंक्यूबेटर को किराया अदा करने की दिनांक से पात्र होंगी।
- iii. पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान
 - पेटेंट/गुणवत्ता प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर प्रति पेटेंट/गुणवत्ता प्रमाणपत्र हेतु लागत की प्रतिपूर्ति घरेलू हेतु 2 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय हेतु 5 लाख रुपए की सीमा तक की जाएगी।
 - 5 साल की नीति की अवधि के भीतर, प्रत्येक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में 2 पेटेंट/गुणवत्ता प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।
- iv. स्टार्टअप विपणन सहायता
 - पात्र स्टार्टअप को बाजार में उनके उत्पाद/सेवा को शुरू करने के लिए, स्टार्टअप द्वारा एक पंजीकृत एंजल/वैचर फण्ड/पंजीकृत इंक्यूबेटर से न्यूनतम 25 प्रतिशत पूँजी हासिल करने पर एक बार अधिकतम 10 लाख रुपए की स्टार्टअप विपणन सहायता दी जाएगी।
- v. क्रेडेंशियल विकास सहायता
 - राज्य सरकार के विभागों, निगमों और राज्य एजेन्सीओं द्वारा की जाने वाली सरकारी खरीदी में स्टार्टअप को एक मंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार इस बात कर विचार करेगी और संभावनाओं को तलाशेगी कि किस प्रकार सेवा एवं सामग्री से संबंधित शासकीय क्रय में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए।

V. नीति की उपयुक्तता

म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 निम्नानुसार क्षेत्रों में लागू होगी; यथा :-

- इंटरनेट संबंधी (IOT) / ई कॉमर्स/ मोबाईल प्रौद्योगिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/आईटीइंस/बीपीएम/सॉफ्टवेयर विकास
- ईएसडीएम सहित निर्माण/रोबोटिक्स/3 डी मुद्रण
- हेल्थकेयर, फार्मास्यूटिकल और कृषि प्रसंस्करण
- बॉयोकेमिकल, कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं वस्त्र
- हरित ऊर्जा/स्वच्छ प्रौद्योगिकी/पानी और पुर्नचक्रण
- शिक्षा, सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता
- या कोई भी अभिनव विचार/ प्रौद्योगिकी जो राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित हों

VI. नीति का क्रियान्वयन

'म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016' को राज्य में क्रियान्वित करने के लिए म.प्र. शासन एमएसएमई, विभाग द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में "उद्योग संचालनालय म.प्र." को नोडल एजेंसी के रूप में इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नामित किया जाएगा।

अ. स्टार्टअप -इंक्यूबेटर (एसआई) सेल

नोडल एजेंसी के भीतर एक 'स्टार्टअप-इंक्यूबेशन (एसआई) सेल' बनाया जाएगा, जो स्टार्टअप/इन्क्यूबेटरों/मेजबान संस्थाओं को म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 के तहत लाभ प्रदान करने हेतु सुगमता और हेण्डहोल्डिंग प्रदान करेंगा।

यह पेशेवर तरीके से संचालित इकाई सभी स्टार्टअप/उद्यमी/इंक्यूबेटर/मेजबान संस्थान की जिजासाओं, सरकार के पदाधिकारियों के साथ संपर्क, नीति क्रियान्वयन योजना में सहायता के लिए 'एक स्थान पर समाधान' के रूप में कार्य करेगी और म.प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 के विपणन व ब्रांडिंग हेतु प्रतिबद्ध रहेगी।

पात्र स्टार्टअप/उद्यमी/इंक्यूबेटर/मेजबान संस्था अपना आवेदन नोडल एजेंसी के 'स्टार्टअप-इंक्यूबेशन सेल (एसआई)' में अपने व्यापार की योजना के साथ प्रस्तुत करेंगी। नोडल एजेंसी स्टार्टअप/उद्यमी/इंक्यूबेटर/मेजबान संस्था से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। नोडल एजेंसी राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ब. राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति

इस नीति के तहत सहायता की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार सदस्यों को समाविष्ट करते हुए एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति (SLIC) गठित की जाएगी:

प्रमुख सचिव एमएसएमई	-	अध्यक्ष
सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
उच्च शिक्षा विभाग के नामिती	-	सदस्य
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नामिती	-	सदस्य
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नामिती	-	सदस्य
प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक के नामिती	-	सदस्य
आवेदक से संबंधित म. प्र. शासन के विभाग के नामिती	-	सदस्य
उद्योग/उद्योग संघो से नामिती	-	सदस्य
अभिनव/निवेशक/इंक्यूबेटर नेटवर्क से अन्य नामिती, जो कि म.प्र. शासन द्वारा नामांकित किए जाएंगे	-	सदस्य
उद्योग आयुक्त	-	सदस्य सचिव

- सदस्य सचिव निर्धारित समय के भीतर एक निश्चित तिथि को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

स. राज्य स्तरीय साधिकार समिति

इस नीति के तहत सदस्यों को निम्नानुसार सदस्यों को समाविष्ट करते हुए एक राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें :

मुख्य सचिव, म. प्र. शासन	-	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-	सदस्य

प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	-	सदस्य
उद्योग आयुक्त	-	सदस्य
प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, एमएसएमई	-	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय साधिकार समिति SLIC के लिए अपील समिति होगी, जिसका किसी भी मामले में निर्णय अंतिम होगा।

साधिकार समिति का चार्टर निम्नानुसार होगा:

- परिवीक्षक और प्रासंगिक आदेशों/अधिसूचनाओं और आवश्यक संशोधन को समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करना
- नीतिगत मामलों के संबंध में इस नीति के किसी भी मुद्दे की व्याख्या, अंतर विभागीय समन्वय
- विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं, रूपरेखा, क्रियान्वयन के तौरतरीकों को स्वीकृत करना
- म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 का समय-समय पर महत्वपूर्ण संकेतकों पर मूल्यांकन और सभी स्तरों पर क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को सुलझाना

VII. शब्दकोष

1. स्टार्टअप : किसी इकाई को 'स्टार्टअप' के रूप मान्य किया जाएगा -

- अपने निगमन/पंजीकरण की दिनांक से 5 वर्ष तक
- यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उसका कारोबार 25 करोड़ से अधिक न हो
- इकाई नवाचार और नए उत्पादों व सेवाओं का विकास की दिशा में कार्य करती हो, जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा के द्वारा संचालित हो।

इसके अलावा, डीआईपीपी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई स्टार्टअप की परिभाषा को मान्य किया जाएगा।

2. इंक्यूबेटर : इंक्यूबेटर एक संगठन है जो भौतिक स्थान, अधोसंरचना, वित्त पोषण नेटवर्क, सलाह/प्रशिक्षण और अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी सुविधाओं के माध्यम से

व्यापार की सहायता हेतु स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करता है। पात्र इंक्यूबेटर मध्यप्रदेश में स्थित हो और नीति क्रियान्वयन एजेन्सी के साथ पंजीकृत हो।

3. **मेजबान संस्था (एचआई) :** मध्यप्रदेश में स्थित प्रसिद्ध इंजिनीयरिंग/इंट्रोड्यॉगिकी, प्रबंधन, व्यवसायिक संस्था और अनुसंधान विकास संस्था, प्रमुख उद्योग संघों सहित मेजबान संस्था होंगे जो इंक्यूबेशन, नवाचार, एवं उद्यमिता विकास गतिविधिओं पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।
4. **एंजल निवेशक :** एंजल निवेशक सेबी/अनुसूचित बैंक/ या प्रतिष्ठित संस्था जैसे आईआईटी/आईआईएम/डीएसटी या म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटरों के साथ पंजीकृत होगा। एंजल निवेशक वह होगा, जो उद्यमियों/स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण हेतु स्थापना पूँजी उपलब्ध कराए।
5. **उद्यम पूँजी :** उद्यम पूँजी फण्ड द्वारा फण्ड का प्रबंध, निवेशक को उभरते विकास संभावनाओं वाले स्टार्टअप एवं लघु-मध्यम उद्यमों में हिस्सेदारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के निवेश को उच्च जोखिम और उच्च वापसी का माना जाता है।
6. **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान :** इस श्रेणी में ऐसे संस्थान होंगे, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत है, जैसे आईआईटी, एनआईटी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान आदि।
7. **निर्गम अनुच्छेद :** किसी भी इंक्यूबेटी को निर्गम का रास्ता संबंधित इंक्यूबेटर द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि डीआईपीपी, भारत सरकार द्वारा परिभाषित मापदंडों की तर्ज पर आधारित होगा।